

आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलेक्टर (आ.प्र.एवं सहा. एवं नागरिक सुरक्षा), पाली

क्रमांक: 1613

दिनांक: 23/07/2024

प्रशासनिक स्वीकृति नंबर: AS/OREL//PAL/0008052

प्रशासनिक स्वीकृति

तहसीलदार की अभिलेखीय सहित प्राप्त निम्न आकाशीय बिजली के प्रकरणों में आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग राजस्थान जयपुर की पालना में एवं भारत सरकार के गृह मंत्रालय के आपदा प्रबंधन अनुभाग के पत्रांक 33-3/2020 000 -1 दिनांक 10.10.2022 अवधि 2022-2026 में राज्य आपदा मोचन निधि (0000) के अंतर्गत दिए गए प्रावधान अनुसार आकाशीय बिजलीसे पीड़ितों को उनके नाम के सम्मुख अंकित राशि के अनुसार आर्थिक सहायता के रूप में भुगतान करने की प्रशासनिक स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है :-

क्र.सं.	आवेदन संख्या	पीड़ित का विवरण	आपदा का क्षेत्र	आपदा की दिनांक	क्षति का प्रकार	क्षति का विवरण	देय सहायता राशि
1	00/0000/2022/018318	नाम: Viram Ram पिता का नाम: Kasa Ram जिला: पाली	00, 00, देसूरी, पंचायत समिति -देसूरी, ग्राम पंचायत -केसूली, गाँव - केसूली	14/07/2022	आकाशीय बिजली	आकाशीय बिजली लगने से रहवासी मकान आंशिक क्षतिग्रस्त (00 00000000)	6500
योग							6500

इस राशि का व्यय निम्न बजट मद से किया जायेगा :- 2245-01-800-(03)-[02]-12

जिला कलेक्टर
(आ.प्र.एवं सहा. एवं नागरिक सुरक्षा)
पाली



आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

राजस्थान सरकार

प्रतिपक्ष निम्नान्कितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. शासन सचिव आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग राजस्थान जयपुर।
2. संभागीय आयुक्त,.....
3. जिला कलेक्टर, पाली।
4. उपखंड अधिकारी
5. तहसीलदार
6. जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी, पाली।
7. रोकड़पोल (सहायता शाखा) कार्यालय हाजा



प्रभारी अधिकारी
(आ.प्र.एवं सहा. एवं नागरिक सुरक्षा)
पाली